फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 278/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/304) **श्री मिठुलाल जाट बनाम श्रीमती कंकु जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2022	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री भगवतीलाल जैन - वकील प्रत्यर्थी-1 **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राश्मी, बप्रकरण संख्या 02/2019 निर्णय दिनांक 23.02.2021 (अनवान कंकू जाट बनाम मिठु जाट)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 13.12.2022 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राश्मी, बप्रकरण संख्या 02/2019 निर्णय दिनांक 23.02.2021 (अनवान कंकू जाट बनाम मिठु जाट) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती कंकु पिता अम्बालाल जाट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राश्मी समक्ष ग्राम पंचायत उपरेडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 20.07.2006 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की और कथन किया कि ग्राम पुठवाडिया पटवार हल्का उपरेडा तहसील राश्मी के खातेदार काश्तकार श्री अम्बा पिता गिरधारी जाट की मृत्यु उपरान्त पटवार हल्का के पटवारी द्वारा उसके (कंकु) के पक्ष में सजरा दर्शाते हुए भर कर पेश किया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत उपरेडा ने बिना कोई जांच किये उक्त बैठक खातेदार अम्बा को फौत होने, पुत्री श्रीमती कंकु है, बेवा फौत हो चुकी है, भाई मिठु ने उन रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अपने पक्ष का पेश किया, पुत्री कंकु वक्त बैठक उपस्थित नहीं हुई है, परन्तु कोरम की सहमति से खाता विरासत से कंकु पिता अम्बा के अनरजिस्टर्ड वसीयतनामानुसार श्री मिठु के पक्ष में नामान्तरकरण निर्णित फरमा दिया। श्रीमती कंकु श्री अम्बा की प्रथम श्रेणी की वारिस होकर एकमात्र जायन्दा पुत्री है। मृतक अम्बा द्वारा कोई वसीयत नहीं की है। मृतक खातेदार का विरासती नामान्तकरण श्रीमती कंकु के पक्ष में निर्णित किया जाना था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयतनामानुसार नामान्तकरण श्री मिठु के पक्ष में पारित किया जो निरस्त किया जावें। श्रीमती कंकु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया। • उपखण्ड अधिकारी, राश्मी द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर कर निर्णय दिनांक 23.02.2021 से नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 20.07.2006 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, राश्मी को इस निर्देश से साथ प्रतिप्रेषित किया कि तहसीलदार राश्मी मृतक अम्बा पिता गिरधारी जाट निवासी उपरेडा के विधिक वारिसानों की विधि के सुसंगत प्रावधानों के आलेख में नये सिरे से जांच उपरान्त निर्णय पारित करें। उक्त आदेश दिनांक 23.02.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 278/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/304) **श्री मिठुलाल जाट बनाम श्रीमती कंकु जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील दिनांक 16.11.2021 को मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 17.11.2022 को अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-1 उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी ने मयाद बाधित अपील प्रस्तुत की जिसके प्रार्थना पत्र के साथ तकदीकशुदा शपथ प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु को तय करने का कारण रहित आदेश पारित किया। श्रीमती कंकु को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी आरम्भ से ही, जिससे अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर निरस्तनीय थी। वादग्रस्त कृषि आराजी के खातेदार अम्बा पिता गिरधारी जाट भूमि में श्रीमती कंकु द्वारा अपना हक त्याग कर भूमि अपीलान्ट का कब्जा नियत्रंण दे दिये जाने से श्री अम्बा की सम्पत्ति के लिए नामान्तरकरण की अपील के जरिये अपना अधिकार नहीं होने की वजह से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य हैं। अधिवक्ता द्वारा यह भी उज्र प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही में श्रीमती कंकु पक्षकार नहीं थी, तो उसे अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जादी का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना था जो नहीं किया गया। तहसीलदार, राश्मी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, राश्मी के अपीलाधीन निर्णय की पालना में निर्णय दिनांक 11.02.2022 से श्री कंकुबाई, श्री अम्बा जी की जायन्दा पुत्री होने श्री अम्बा का विरासत का नामान्तरकरण श्रीमती कंकुबाई के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। उपखण्ड अधिकारी, राश्मी के निर्णय के विरूद्ध आप न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है, इस स्थिति में तहसीलदार राश्मी को उनके कार्यालय में लम्बित प्रकरण में कार्यवाही को आप न्यायालय के निर्णय तक स्थगित रखी जानी थी जो नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया है, जिससे अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी ससमय नहीं हो सकी और जानकारी होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाये जाने एवं अपीलाधीन निर्णय के उपरान्त राजस्व रेकर्ड में कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसे पुनः उसी स्थिति में लाया जाने का अनुरोध किया। **अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 ने अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि** ग्राम पुठवाडिया पटवार हल्का उपरेडा तहसील राश्मी के खातेदार काश्तकार श्री अम्बा पिता गिरधारी जाट की मृत्यु उपरान्त पटवार हल्का के पटवारी द्वारा उसके (कंकु) के पक्ष में सजरा दर्शाते हुए भर कर पेश किया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत उपरेडा ने बिना कोई जांच किये उक्त बैठक खातेदार श्री अम्बा को फौत होने, पुत्री श्रीमती कंकु है, बेवा फौत हो चुकी है, भाई मिठु ने उन रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अपने पक्ष का पेश किया, पुत्री कंकु वक्त बैठक उपस्थित नहीं हुई है, परन्तु कोरम की सहमति से खाता विरासत से कंकु पिता अम्बा के अनरजिस्टर्ड वसीयतनामानुसार श्री मिठु के पक्ष में नामान्तरकरण निर्णित फरमा दिया। श्रीमती कंकु श्री अम्बा की प्रथम श्रेणी की वारिस होकर एकमात्र जायन्दा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 278/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/304) **श्री मिठुलाल जाट बनाम श्रीमती कंकु जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पुत्री है। मृतक अम्बा द्वारा कोई वसीयत नहीं की है। मृतक खातेदार का विरासती नामान्तकरण श्रीमती कंकु के पक्ष में निर्णित किया जाना था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयतनामानुसार नामान्तकरण श्री मिठु के पक्ष में पारित किया जो निरस्तनीय होने से श्रीमती कंकु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर पूर्णतयाः विचार विश्लेषण उपरान्त तार्किक निर्णय पारित किया और प्रकरण तहसीलदार राश्मी को प्रतिप्रेषित किया। श्रीमती कंकुबाई को आलौच्य नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी, इसकी ताईद नामान्तरकरण किए गए अंकन से होता है, जिसमें श्रीमती कंकु बाई के अनुपस्थित होने का अंकन है। तहसीलदार, राश्मी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, राश्मी के अपीलाधीन निर्णय की पालना में पूर्ण जांच एवं परिक्षण उपरान्त, पक्षकारान के बयान दर्ज कर निर्णय दिनांक 11.02.2022 से श्री कंकुबाई, श्री अम्बा जी की जायन्दा पुत्री होने श्री अम्बा का विरासत का नामान्तरकरण श्रीमती कंकुबाई के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। उपखण्ड अधिकारी, राश्मी के आदेश की पालना हो चुकी है, जिससे वर्तमान अपील इनफ्रक्चुअस हो चुकी है। आप न्यायालय में हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा कोई स्थगन जारी नहीं प्रदान किया गया जिससे कि तहसीलदार राश्मी की कार्यवाही को रोका जावें। अंत में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर विवेचन किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा देरी का प्रमुख कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा पारित किया जाना एवं कोविड लॉकडाउन होना बताया है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट आया है कि ग्रमा पुठवाडिया पटवार हल्का उपरेडा तहसील राश्मी में श्री अम्बा पिता श्री गिरधारी जाट की खातेदारीशुदा भूमि स्थित थी। श्री अम्बा के देहांत उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा श्री अम्बा के वारिसान का सजरा अंकित करते हुए नामान्तरकरण ग्राम पंचायत समक्ष प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा मिठू द्वारा प्रस्तुत हक त्याग पेश करने पर श्री मिठु के नाम नामन्तरकरण संख्या 337 दिनांक 20.07.2006 को पारित किया, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्रीमती कंकु द्वारा अपील पेश की गई। उपखण्ड अधिकारी, राश्मी द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर कर निर्णय दिनांक 23.02.2021 से नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 20.07.2006 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, राश्मी को इस निर्देश से साथ प्रतिप्रेषित किया कि तहसीलदार राश्मी मृतक अम्बा पिता गिरधारी जाट निवासी उपरेडा के विधिक वारिसानों की विधि के सुसंगत प्रावधानों के आलेख में नये सिरे से जांच उपरान्त निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी का उज्र रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद उपशमित करने के पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में यह अभिमत पारित किया गया है कि धारा 5 अवधि अधिनियम के आवेदन पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 278/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/304) **श्री मिठुलाल जाट बनाम श्रीमती कंकु जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विचार करते समय उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए। गुणावगुण पर मजबुत प्रकरणों में तकनिकी कारणों को अनदेखा किया जाना चाहिए। यह न्यायिक विवेकाधिकार है। अतः यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के मयाद के बिन्दु पर किये निर्णय का समर्थन करता है। साथ ही आलौच्य नामान्तरकरण पर किये गये अंकन से यह प्रकट आया है कि ग्राम सभा की बैठक में श्री कंकु बाई उपस्थित नहीं थी। आश्चर्यजनक रूप से इस बैठक कार्यवाही विवरण पर कंकुबाई के अगुंठा निशानी पाई गई जो विरोधाभासी स्थिति को प्रकट करती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में मयाद के बिन्दु को शम्य किया जाना उचित था। अधिवक्ता अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्रीमती कंकु द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियमों की पालना नहीं किये जाने का स्पष्ट अंकन किया गया है। पटवारी द्वारा नामान्तरकरण परत पर सजरा अंकित किया गया जिस पर कंकु को पुत्री होना माना फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा उसकी अनुपस्थिति में नियमों की पालना न कर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही की जो प्रथम दृष्टया अवैद्यानिक है। यह न्यायालय पाता है कि आलौच्य नामान्तरकरण से श्रीमती कंकु व्यथित थी, जिससे उसके अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार था। अतः अपीलार्थी के तर्क, कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील करने के लिये अनुमति नहीं ली है, में कोई सार नहीं है। प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय किये जाने के क्रम में पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि श्री अम्बा के निधन के उपरान्त पटवारी द्वारा पारिवारिक सजरा अंकित करते हुए नामान्तरकरण प्रस्तुत किया, जिसमें श्रीमती कंकु के जायन्दा पुत्री होना जाहिर है। वक्त ग्राम सभा के बैठक में श्रीमती कंकु उपस्थित नहीं होने का अंकन है, फिर भी श्री कंकु के अगुंठा निशानी पायी जाना ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न करती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से पत्रावली तलब की गई थी जिसमें उनके द्वारा पाया गया कि ग्राम विकास अधिकारी उपरेडा द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने के संबंध में केवल ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही की प्रमाणित प्रति ही होना बताया गया। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण का अंकन ना होकर मात्र नामान्तरकरण रजिस्टर में अंकन किया हुआ है। इसके अलावा कोई जांच की गई, नहीं पाया गया। यह स्थिति भी स्पष्ट करती है कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपेक्षित जांच नहीं की गई, जो विधिक प्रावधानोनुसार अनुचित है। इसके अतिरिक्त हम अधीनस्थ न्यायालय के इस विनिश्चय से भी पूर्णतया सहमत है कि नामान्तरकरण को दर्ज करने, उसकी जांच करने व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान लागु होते है। उक्त नियमों के नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुए नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को नामान्तरकरण के संबंध में पूर्ण जांच उपरान्त नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है। यह न्यायालय भी यह पाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत जांच एवं कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई और अनरजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर बिना जांच उपरान्त नामान्तरकरण पारित कर दिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या-337 निर्णय दिनांक 20.07.2006 को उपखण्ड अधिकारी, राश्मी द्वारा अपास्त किया गया और प्रकरण तहसीलदार, राश्मी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 278/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/304) **श्री मिठुलाल जाट बनाम श्रीमती कंकु जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को इस निर्देश से साथ प्रतिप्रेषित किया कि तहसीलदार राश्मी मृतक अम्बा पिता गिरधारी जाट निवासी उपरेडा के विधिक वारिसानों की विधि के सुसंगत प्रावधानों के आलेख में नये सिरे से जांच उपरान्त निर्णय पारित करें।

उक्त निर्णय दिनांक 23.02.2021 की अनुपालना में तहसीलदार, राश्मी द्वारा प्रकरण संख्यार 11/21 दर्ज किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 11.02.2022 से श्री कंकुबाई, श्री अम्बालाल जी की जायन्दा पुत्री होने श्री अम्बा का विरासत का नामान्तरकरण श्रीमती कंकुबाई के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 ने उक्त निर्णय की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। तहसीलदार राश्मी समक्ष रिमाण्ड कार्यवाही में श्री मिठु तहसीलदार समक्ष उपस्थित हुआ और कंकु के जायन्दा पुत्री होना स्वीकार किया और उसके पक्ष के कोई गोदनामा एवं वसीयत लिखी हो, इसकी जानकारी उसे नहीं जाहिर किया। तहसीलदार के समक्ष मिठु साक्ष्य स्वरूप किसी प्रकार का कोई गोदनामा, वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, राश्मी के निर्णय में प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए श्री कंकुबाई, श्री अम्बा जी की जायन्दा पुत्री होने श्री अम्बा का विरासत का नामान्तरकरण श्रीमती कंकुबाई के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उज्र प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा प्रश्नगत अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा चुकी थी तो तहसीलदार राश्मी रिमाण्ड प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना था। यह उज्र स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, राश्मी के निर्णय के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी, राश्मी के निर्णय की पालना तहसीलदार राश्मी द्वारा की जाकर निर्णय पारित किया जा चुका है, ऐसे में हस्तगत अपील भी सारहीन हो चुकी है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, राश्मी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर